

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 174847281221020141

Date : 28-12-2021

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री KRSHNA PRASAD GUPTA S/O SRI BASUDEO RAM,
मोहल्ला AYUSH VIHAR COLONY BEHIND RAGHUKUL SARAI, DHANBAD DHANBAD
DHANBAD, 826001
9304218686

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका मूला गृह सं - 0220004070000M0 कार्ड सं 22 हुआ है, आपके स्व निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	100.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		100.00



नोट-

1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website: uda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कडिका 11.4 के अंतर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा। विद्यमान है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाएं।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिबात पटी जाएगी।
5. किसी देय पूति को निर्दिष्ट समयतक (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समा निगम करा सकती है। गलत पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित बालि (Fine) एवं और सखि देय होगा।
7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ती कर इन इमरतों/घांतों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने बालि वसूलकर को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नजो का अधिरो अंक 5/8/7/8 है तो यह विरिष्ट संरचनाओं की बंकी के अन्तर्गत माना जाएगा।

O/E : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

To be signed by the Applicant

